UPBJ120023642026

<u>**न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चांदपुर, बिजनौर**</u>
सरकार बनाम अरशद आदि
जमानत प्रार्थना पत्र सं०– 501/2026
मु.अ.सं० 245/2026
धारा–318(4),338,336(3),340(2),61(2) बी.एन.एस व 66 डी आई०टी० एक्ट
थाना– नूरपुर, जिला–बिजनौर
<u>**दिनांक–14.07.2026**</u>

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण **1.अरशद पुत्र इरशाद अहमद 2.रिहान पुत्र इरशाद अहमद** की ओर से **मु.अ.सं. 245/2026** अन्तर्गत **धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बी.एन.एस. व 66 डी आई०टी० एक्ट** थाना नूरपुर, जिला बिजनौर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण को वाद उपरोक्त में रंजिश की बिनाह पर झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थीगण निर्दोष है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण दिनांक 09.07.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थीगण दौरान विचारण अपनी उचित जमानत देने को तैयार है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

अभियुक्तगण जिला कारागार में निरूद्ध है।

सुना तथा समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण पर धोखाधड़ी कारित करने,फर्जी बेवसाइट तैयार कर धन को प्राप्त करने के प्राधिकार की कूटरचना करने, छल के प्रयोजन से कूटरचना करने, कूटरचित दस्तावेज को यह जानते हुए कि वह कूटरचित है असली के रूप में उपयोग में लाने का अभियोग है। अभियुक्तगण पर जिस अपराध का अभियोग है वह गम्भीर एवं अजमानतीय प्रकृति का है। अतः मामलें के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>**आदेश**</u>

प्रार्थीगण **1.अरशद पुत्र इरशाद अहमद 2.रिहान पुत्र इरशाद अहमद** की ओर से मु.अ.सं० 245/2026, अन्तर्गत **धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बी.एन.एस. व 66 डी आई०टी० एक्ट** थाना नूरपुर, जिला बिजनौर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(अरूण कुमार राणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, चांदपुर,
बिजनौर
J.O. Code– UP3660

Digitally signed by ARUN KUMAR RANA
Date: 2026.07.14 16:24:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court